उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-10/2020/1137/94-स्टा0नि0-2-2020-700(17)/2020

लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत रु० 10,000/- तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निष्पादित ऋण/आडमान करार पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं |

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव

संख्या-10/2020/ 1137 /94-स्टा०नि०-2-700 (17) /2020, दिनांक: 24 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 24-10-2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें|

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 10/2020/ 1137 /94-स्टा०नि०-2-700 (17) /2020, दिनांक, 24 अक्टूबर,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज|
2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन|
3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन|
4) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन|
5) समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश|
6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश|
7) निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश|
8) निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश|
9) समस्त नगर आयुक्त/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश|
10) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ|
11) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश|
12) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/ उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश|
13) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश|
14) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन|
15) भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन|
16) गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 10/2020/1137/ 94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(17)/2020 dated, 24 October, 2020

Notification
Order

No. 10/2020/1137/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(17)/2020
Lucknow, Dated, 24 October, 2020

In exercise of the powers under clause (a) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit, with effect from the publication of this notification, stamp duty payable on the loan/ hypothecation agreement executed for the approval of the loan upto Rs. 10,000/- under PM Swanidhi Yojana.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।